



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2016/प्र.स./01/836

दिनांक: 21.12.2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अकादमिक अध्यादेश क्र. 1.3 (बी) में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत सत्र 2016-17 की प्रवेश अर्हताएँ, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों की समीक्षा एवं दिशा-निर्देश तय करने के लिए निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है-

क्र.सं.	अध्यादेश में दिया गया प्रावधान	नामित व्यक्ति का नाम
01	अध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित	प्रो. मनोज कुमार, निदेशक, म.गां.फ. सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र
02	समस्त अधिष्ठाता	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, भाषा विद्यापीठ प्रो. के. के. सिंह, अध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ प्रो. एल. कारुण्यकारा, संस्कृति विद्यापीठ प्रो. चित्तरंजन मिश्र, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ प्रो. मनोज कुमार, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ एवं सृजन विद्यापीठ प्रो. अरविंद कुमार झा, शिक्षा विद्यापीठ एवं प्रबंधन विद्यापीठ
03	समस्त विभागाध्यक्ष	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, भाषा अध्ययन विभाग प्रो. विजय कुमार कौल, कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग प्रो. सूरज पालीवाल, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग प्रो. मनोज कुमार, म.गां.फ. सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र प्रो. एल. कारुण्यकारा, डॉ.बा.सा.अं.सिदो कान्हू मुर्मू द.ज.अ.केंद्र प्रो. देवराज, अनुवाद अध्ययन विभाग प्रो. सुरेश शर्मा, नाट्यकला एवं फ़िल्म अध्ययन विभाग डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, विकास एवं शांति अध्ययन विभाग डॉ. फरहद मलिक, मानवविज्ञान विभाग डॉ. कृपाशंकर चौबे, जनसंचार विभाग डॉ. सुप्रिया पाठक, स्त्री अध्ययन विभाग डॉ. सुरजीत कुमार सिंह, डॉ. भ. आ. कौ. बौद्ध अध्ययन केंद्र डॉ. राजीव रंजन राय, डायस्पोरा अध्ययन विभाग
04	दो शिक्षक सदस्य (कुलपति द्वारा नामित)	डॉ. गोपाल ठाकुर, एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग डॉ. निशीथ कुमार राय, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग

चूंकि प्रवेश से संबंधित समस्त प्रक्रिया अकादमिक विभाग द्वारा संचालित की जाती है इसलिए संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक) प्रवेश समिति में सचिव के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
3. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)